

बिहार सरकार  
परिवहन विभाग

कार्यालय आदेश

आदेश संख्या-05/स्था.-256/2007(खण्ड).....

पटना/दिनांक-

पटना शहरी क्षेत्र के अंतर्गत निर्धारित मानक स्तर से अधिक प्रदूषण फैलाने वाले व्यावसायिक वाहनों विशेषकर सिटी राईड बसों एवं क्वाइसिन तेल मिश्रित डीजल/पेट्रोल से परिचालित ऑटो रिक्शा/श्री व्हील्स एवं विशेष तौर पर बच्चों को ढोनेवाले ओवर लोडेड एवं प्रदूषण फैलाने वाले सभी प्रकार के स्कूल वाहनों का सघन जाँच हेतु निर्मांकित मोटरयान निरीक्षकों की प्रतिनियुक्ति की जाती है :-

क्र.सं.	मोटरयान निरीक्षक का नाम	पदस्थापन जिला	प्रतिनियुक्ति की अवधि
1	2	3	4
1	श्री सिद्धार्थ शंकर त्रिपाठी	खगड़िया	27.12.2013 से 28.12.2013 तक एवं 10.01.2014 से 11.01.2014 तक
2	श्री सुजीत कुमार	सहरसा	27.12.2013 से 28.12.2013 तक एवं 10.01.2014 से 11.01.2014 तक
3	श्री विनोद कुमार	बौंका	30.12.2013 से 31.12.2013 तक एवं 15.01.2014 से 16.01.2014 तक
4	श्री दिलीप कुमार	सुपौल	30.12.2013 से 31.12.2013 तक एवं 08.01.2014 से 09.01.2014 तक
5	श्री उपेन्द्र राव	मधेपुरा	02.01.2014 से 04.01.2014 तक एवं 15.01.2014 से 16.01.2014 तक
6	श्री संताप कुमार सिंह	भागलपुर	02.01.2014 से 04.01.2014 तक एवं 15.01.2014 से 16.01.2014 तक
7	श्री कुमार विवेक	कटिहार	08.01.2014 से 09.01.2014 तक
8	अजय कुमार	मुजफ्फरपुर	17.01.2014 से 18.01.2014 तक
9	विनोद कुमार	छपरा, सारण	17.01.2014 से 18.01.2014 तक

2. उपर्युक्त सभी संबंधित मोटरयान निरीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि निर्धारित तिथि को जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना के कार्यालय में पूर्वाह्न 10.00 बजे योगदान करना सुनिश्चित करेंगे।

कृ०प०३०

3. जिला परिवहन पदाधिकारी, पटना संबंधित मोटरयान निरीक्षकों को पटना शहरी क्षेत्र में निर्धारित स्थल पर आवश्यकतानुसार अपने स्तर से वाहन जाँच हेतु प्रतिनियुक्त करना सुनिश्चित करेंगे।

ह/0

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।

पटना/दिनांक-24/12/2013

जापांक- 6623

प्रतिलिपि: सभी संबंधित प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/सभी संबंधित संयुक्त-आयुक्त-सह सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार/सभी संबंधित परिवहन पदाधिकारी एवं पटना /सभी संबंधित मोटरयान निरीक्षक/ ~~आईटी~~ मैनेजर, कम्प्यूटर कोपांग, परिवहन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रधान सचिव,

परिवहन विभाग, बिहार, पटना।